

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा
 राजस्थान सरकार
 पीलाश्रीन अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.एस.
 मुकदमा संख्या - 104/11
 1- श्री गणेश लाल वी-श्री गणेश लाल सेन निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [कौंस]

-प्रार्थी
 श्री रागलाल वी० जंगारण हरिन निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल [कौंस]
 (प्रहारांकित 310 पग संकेत)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 24.5.19

आदेशः

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालाई रोड़ा पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 9761/3301 कुल विस्तार 01 एकड़ 01 बीघा 10 विस्था स्थित है। वादग्रस्त भूमि के दिपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाशिव के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा न्यायालय में दिनांक 24.5.19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे कायत की हाने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आदेश पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालाई रोड़ा पटवार हलका माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 9761/3301 कुल विस्तार 01 एकड़ 01 बीघा 10 विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षाकारानु की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फराल खरी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा
 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा